संख्या-175/2018/1154/नौ-5-18-180बजट/15

प्रेषकए

राधे कृष्ण
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

मिशन निदेशक(स्मार्ट सिटी मिशन)/निदेशकए
नगर निकायए
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च 2018

विषयः-स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ए0ए0ड0ओई मद की धनराशि एवं अनुमन्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एसएमएमयू/330/41(1)/2017-18 दिनांक 14 मार्च 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लखनऊ नगर हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ए0ए0ड0ओई मद की धनराशि रू0 800.00 लाख एवं अनुमन्य राज्यांश की धनराशि रू0 800.00 लाख कुल रूपये 1600.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ मात्र)** को निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय/अंतरित की जायेगी।

(2) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगाए जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लि० प्रथम वर्ष हेतु अवमुक्त केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति होए सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।

3- इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017ए दिनांक 03 अगस्तए 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएं-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.+रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 ई8-1211/दस-2018 दिनांक 31.03.2018 द्वारा दी गयी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-175/2018/1154/नौ-5-18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीयए उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिवए भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकारए नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जवाहर भवन कोषागारए लखनऊ।
6- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8- नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ।
9- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।